राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
State Level Bankers' Committee, Jharkhand

संयोजक : बैंक ऑफ़ इंडिया

पत्रांक संख्या : रा॰ स्त॰ बै॰ स॰ / 2022-23/306 दिनांक : 04.03.2023

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय / महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 82वीं त्रैमासिक (दिसम्बर 2022) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 17.02.2023 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 82वी॰ त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है, साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

उप महाप्रबंधक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संगलन:- उपरोक्त अनुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: १७.०२.२०२३
स्थान– होटल रेडिसन ब्लू

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 82वीं त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 82वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 17.02.2023 को होटल रेडिसन ब्लू , राँची के जीबीआर सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, डॉ रामेश्वर उरांव मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय से कार्यकारी निदेशक श्री एम कार्तिकेयन ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 82वीं त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार के वित्त विभाग की विशेष सचिव, श्रीमति दीप्ति जयराज, भारतीय रिजर्व बैंक-राँची के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) श्री संजीव सिन्हा, नाबार्ड, झारखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय- राँची के मुख्य महाप्रबंधक डॉ एम एस राव, भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, बेंगलुरु के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजेश बंसल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में,एसएलबीसी झारखण्ड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया,एनबीजी- झारखण्ड के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, एसएलबीसी- झारखण्ड के उप महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार मंच पर उंपस्थित थे। इनके अतिरिक्त यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक श्री ज्ञान रंजन सारंगी, अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं केंद्र/राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित हुए।

बैठक के क्रम मे सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न प्रमुख गणमान्य को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया,जिनकी प्रस्तुति निम्नतः है-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-झारखण्ड के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार का सम्बोधन-

महाप्रबंधक, श्री मनोज कुमार ने मंच पर उपस्थित महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन एवं "जोहार" किया साथ ही बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं प्रतिभागियों का अभिनंदन किया एवं बैंकों के दिसम्बर 2022 तिमाही के प्रदर्शन,अन्य नीतिगत मुद्दे एवं महत्वपूर्ण विषयो के संबंध मे सभा का ध्यान आकृष्ट किया।

क्रम स	विषय	परिचर्चा	कृत कार्यवाही हेतु
०१	वार्षिक ऋण योजना २०२२-२३	श्री मनोज कुमार ने सदन को झारखंड राज्य के गठन के पश्चात बैंकों द्वारा राज्य मे वार्षिक ऋण योजना के द्वारा किए गए सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से अवगत कराया और विगत वर्षों मे बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना के तहत किए गए कार्यो की सराहना की। श्री कुमार ने वर्ष 2010-11 के दौरान वार्षिक ऋण योजना के तहत 16,000 करोड़ के लक्ष्य निर्धारण करने का ज़िक्र किया एवं बैंकों के सहयोग से वर्ष 2022-23 मे 61,000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने की जानकारी दी।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु
०२	ऋण जमा अनुपात	श्री कुमार ने बताया की COVID-19 महामारी के दौरान ऋण-जमा अनुपात मे आयी गिरावट के पश्चात मौजूदा वित्तीय वर्ष मे हो रहे सुधार का ज़िक्र किया, एवं राज्य की आर्थिक विकास मे ऋण-जमा अनुपात की भूमिका के बारे मे बताया। उन्होने सभा को मौजूदा वित्तीय वर्ष मे तथा दिसम्बर तिमाही के ऋण -जमा अनुपात मे बढ़ोतरी का ज़िक्र करते हुए समस्त बैंकों/एलडीएम से मार्च 2023 तक राज्य के ऋण-जमा अनुपात को 50% तक ले जाने का आग्रह किया।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०३	सामाजिक सुरक्षा योजना	महाप्रबंधक ने अपने वक्तव्य में राज्य के बैंकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं मे राज्य मे किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि दिसम्बर 2022 तक राज्य के 48.42 लाख लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना, 1.22 करोड़ लोगों को सुरक्षा बीमा योजना, 3.14 लाख लोगों को अटल पेंशन योजना में निबंधन किया जा चुका है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना मे 1.72 करोड़ लोगों के खाते होने की भी जानकारी दी। इस संबंध मे श्री कुमार ने सदस्य बैंकों से सभी योग्य जन-धन खाता धारकों ,विशेषकर स्वयं सहायता समूह की महिलावों को पीएमजेडीवाई-ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने का विशेष अनुरोध किया।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०४	बैंकों द्वारा डिजिटल क्रांति	श्री कुमार ने बैंकों द्वारा अपनायी जा रही डिजिटल बैंकिंग सुविधा के प्रयास का जिक्र किया एवं राज्य के बैंकों के अतिरिक्त fin tech companies की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होने आगे बताया की आने वाले वर्षों मे झारखंड राज्य मे बैंकों द्वारा किए जा रहे ऋण वृद्धि के प्रयासों मे डिजिटल क्रांति की काफी अहम भूमिका बतायी। डिजिटल क्रांति द्वारा राज्य मे	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु

		नए निवेश,छोटे स्टार्ट अप तथा रोजगार सृजन की संभावनावों का विश्लेषण किया,उन्होने बैंकों के साथ राज्य के इंडस्ट्रीज़ इकाइयों तथा सरकार से Digitization के द्वारा रोजगार सृजन कार्यक्रमों कों बढ़ावा देने की आवश्यकता बतायी।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०५	किसानो की आर्थिक समृद्धि	श्री कुमार ने राज्य मे किसानो की आर्थिक समृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयासों को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता बतायी। राज्य मे विगत वर्षों मे 3.50 लाख से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा क्रेडिट linkage किए जाने की भी जानकारी दी, साथ ही राज्य मे एफ़पीओ, एफ़पीसी तथा जेएलजी के क्षेत्र में बैंको द्वारा किए गए प्रयासों को काफी महत्वपूर्ण बताया, साथ ही बैंकों को एकीकृत रूप से इन योजनाओ को आगे बढ़ाने मे राज्य सरकार से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता बतायी ।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०६	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी माइक्रोफाइनेंस नीति	महाप्रबंधक ने सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी माइक्रोफाइनेंस नीति से अवगत कराया,उन्होंने बताया कि उपरोक्त नीति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एवं रुपये 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को संयुक्त देयता समूह (JLG) से जोड़ने मे सुविधा प्राप्त होने की जानकारी दी।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०७	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक की उप समितियों मे लिए गए निर्णय	उन्होने सदन को जानकारी दी कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक के पूर्व 13 विभिन्न उप समितियों की बैठक की जाती है , जिनमे कई महत्वपूर्ण विषय सामने निकल कर आते हैं,इन विषयों पर सभी सदस्यों को ध्यान देने की आवश्यकता बतायी ताकि महत्वपूर्ण विषयों का समाधान निकाला जा सके।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु

अंत में महाप्रबंधक ने एसएलबीसी बैठक के द्वितीय भाग मे पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एजेंडावार विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा किए जाने की जानकारी प्रदान की तथा बैठक में उपस्थित सभी गणमान्यों से बैठक में चर्चा के दौरान सक्रिय भागीदारी करने तथा बैठक को सफल बनाने का आग्रह किया।

ख) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के उपमहाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार का सम्बोधन-

क्रम स	विषय	परिचर्चा	कृत कार्यवाही हेतु
०१	वार्षिक ऋण योजना २०२२-२३	श्री सुबोध कुमार ने अपने सम्बोधन मे सर्वप्रथम झारखंड राज्य के सदस्य बैंकों को वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही मे वार्षिक ऋण योजना का 98.49% लक्ष्य हासिल करने पर बधाई दी एवं बताया कि वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के तहत कुल 366.36 करोड़ रुपये के लक्ष्य प्राथमिक क्षेत्र मे आवंटित किए गए, जिसमे 298.06 करोड़ रुपये के ऋण अभी तक स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं गैर-प्राथमिकता क्षेत्र मे 250.00 करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, राज्य के बैंकों द्वारा अब तक 303.52 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं। श्री कुमार ने सदस्य बैंको को प्रथिमकिता क्षेत्र मे ऋण वितरण में अधिक ज़ोर देने की बात कही,साथ ही वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रथमिकता क्षेत्रों में राज्य मे शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की संभावना बतायी।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०२	प्रत्येक गांव/ब्लॉक को वित्तीय समावेशन के दायरे मे लाना	श्री सुबोध कुमार ने प्रत्येक गांव/ब्लॉक को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के उद्देश्य से , झारखंड राज्य में वित्तीय सेवाये विभाग द्वारा चिन्हित 32 बैंक-रहित स्थानों में से 25 स्थानों पर ब्रिक और मोर्टार शाखाओं की स्थापना किए जाने की जानकारी दी। श्री कुमार ने शेष स्थानो पर दिनांक 31.03.2023 के पूर्व संबन्धित बैंको को ब्रिक एवं मोर्टार शाखा खोलने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष मे राज्य मे कुल 38 नई बैंक शाखाएं खोले जाने की भी जानकारी दी।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु
०३	Village Adoption Program	श्री सुबोध कुमार ने बताया कि एसएलबीसी न केवल अपने शाखा नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बल्कि "Village Adoption Program" नामक अपनी पहल के माध्यम से वित्तीय समावेशन योजनाओं और क्रेडिट संतृप्ति के तहत आच्छादन के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री कुमार ने मौजूदा कार्यक्रम मे सभी सदस्य बैंकों की शाखाओं द्वारा 1804 गांवों को गोद लिए जाने की जानकारी दी,जिनमे	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु (एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)

		अब तक 1523 गांवों को पूर्णतः संतृप्त किए जाने की बात कही। श्री कुमार ने शेष गाँवों को दिनांक 15 मार्च, 2023 तक संतृप्त करने का आग्रह किया।	
०४	Targeted Financial Inclusion Intervention Program	उप महाप्रबंधक एसएलबीसी ने वित्त विभाग, भारत सरकार के TFIIP कार्यक्रम से अवगत कराया, उन्होंने बताया कि वित्तीय सेवाये विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 15 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक 6 महीने के अभियान आयोजित किए जाने हैं, इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर लोगो को CASA, PMJJBY, PMSBY, APY एवं अन्य प्रमुख योजनाओं में क्रेडिट लिंकेज से संतृप्त किए जाने की जानकारी दी। उन्होने बताया कि योजना के अंतर्गत साप्ताहिक कैंप के माध्यम से बैंकिंग सुविधा से वंचित ग्रामीणों को बैंकों मे खाते तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के पहल की जाएगी। उन्होने बैंको के राज्य प्रमुखों से इस अभियान में पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु एवं समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण
०५	झारखंड कृषि ऋण माफी योजना	डीजीएम एसएलबीसी ने सदस्यो से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत योग्य किसानो का डाटा WWW.JKRMY.JHARKHAND.GOV.IN पर अपलोड करने तथा e-Kyc का कार्य 28 फ़रवरी, 2023 तक पूर्ण करने का आग्रह किया।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०६	PMEGP के अंतर्गत लंबित अवदेन	श्री कुमार ने सदस्यो बैंको से PMEGP के अंतर्गत लंबित आवेदनों को जल्द निपटारा करने का आग्रह किया साथ ही मार्जिन मनी को अविलंब क्लेम करने की भी आवश्यकता बतायी।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०७	RSETIs द्वारा प्रायोजित आवेदनों का क्रेडिट लिंकेज	श्री सुबोध कुमार ने RSETIs द्वारा प्रायोजित आवेदनों के क्रेडिट लिंकेज में बैंकों द्वारा कम रूचि लेने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं में RSETI द्वारा प्रायोजित आवेदन बड़ी संख्या मे लंबित हैं ,उन्होने इन अवदेनों के जल्द निपटारा करने का आग्रह किया।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक

- अंत में डीजीएम एसएलबीसी ने सभी सदस्य बैंकों, एलडीएम, सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों को उनके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक , नाबार्ड और एलडीएम को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए भी अभिवादन किया।

ग) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ एम एस राव का सम्बोधन-

क्रम स	विषय	परिचर्चा	कृत कार्यवाही हेतु
०१	राज्य मे बैंकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य एवं मुख्य विषयों पर नाबार्ड की राय	डॉ राव ने राज्य में कुल ऋण Outstanding के 1.06 लाख करोड़ पार करने में समस्त बैंकों की सराहना की और आशा व्यक्त की। तथा इस वित्त वर्ष के दौरान मौजूदा ऋण Outstanding 1.20 लाख करोड़ रुपये पहुंचने की संभावना जतायी।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु
०२	ऋण जमा अनुपात मे सकारात्मक वृद्धि	डॉ राव ने इस वित्त वर्ष के अंत तक ऋण-जमा अनुपात के 50% प्राप्त करने की संभावना जतायी,उन्होने कहा कि यदि ऋण जमा अनुपात में इसी प्रकार सकारात्मक वृद्धि का रुझान रहता है तो झारखंड, वित्त वर्ष २०२३-२४ मे 60% के ऋण-जमा अनुपात मानक को हासिल कर सकता है।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु
०३	कृषि ऋण वृद्धि	सीजीएम नाबार्ड ने राज्य मे कृषि ऋण वृद्धि दर पर विचार व्यक्त किए एवं बताया कि तिमाही-दर-तिमाही यह राज्य में 20% की दर से आगे बढ़ा है, हालांकि, राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों के तहत अनिवार्य 18% के मुकाबले कृषि ऋण लगभग 15% के स्तर पर है। उन्होने झारखंड राज्य में कृषि ऋण की अपार संभावनायें बतायी तथा अगले वर्ष तक इसे 18% के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास पर बल दिया।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०४	माइक्रो क्रेडिट से माइक्रो-एंटरप्राइज क्रेडिट की दिशा	डॉ राव ने अपने भाषण में कहा कि झारखंड राज्य में महिला समूहों को दिये गए ऋण की हिस्सेदारी करीब 15.50% है और यह केवल एसएचजी और जेएलजी के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने राज्य में जेएसएलपीएस द्वारा इस क्षेत्र मे किए गए प्रयासों की सराहना की,उन्होंने इस क्षेत्र को जेएलजी तथा मुद्रा के माध्यम से आगे बढ़ते हुए माइक्रो क्रेडिट से माइक्रो-एंटरप्राइज क्रेडिट में दिशा देने की आवश्यकता बतायी ।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०५	ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का विकास	डॉ राव ने माननीय वित्त मंत्री का ध्यान राज्य में भूमि से संबन्धित मुद्दे पर आकर्षित किया। उन्होंने माननीय मंत्री को ग्रामीण औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु ब्लॉक / जिला स्तर पर लैंड बैंक बनाये जाने के सुझाव दिये जिससे राज्य में MSME क्षेत्र के और अधिक विकास किए	राज्य सरकार

		जा सकें। उन्होने इस संबंध मे बताया की नाबार्ड RIDF के तहत भी इन योजनावों के विकास में सहयोग कर सकता है, उन्होने माननीय मंत्री से राज्य के आगामी बजट में भी इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध किया।	
०६	कृषि ऋण / स्वयं सहायता समूहों के ऋण वृद्धि हेतु सुझाव	डॉ राव ने स्वयं सहायता समूहों के पोषण में बैंक और जेएसएलपीएस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रति एसएचजी औसत क्रेडिट लिंकेज केवल 1.32 लाख रुपये है,चूंकि इस क्षेत्र में एनपीए पोर्टफोलियो काफी कम है अतः उन्होंने सदस्य बैंकों से एसएचजी के तहत क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि नाबार्ड, JSLPS के साथ मिलकर पलाश ब्रांड चेन के तहत स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रदान कर रहा है जो मौजूदा SHG पोर्टफोलियो को दोगुना करने मे मददगार साबित होगा।डॉ राव ने बताया कि नाबार्ड द्वारा राज्य में मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिशा मे जेएसएलपीएस के साथ मिल कर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से APMC level, PACS level और एसएचजी फेडरेशन स्तर पर भी marketing infrastructure को बढ़ावा देने में मदद करने का अनुरोध किया जिससे कृषि संबंधी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर विकसित करने में मदद किये जा सके। डॉ राव ने कृषि ऋण पोर्टफोलियो के कम आकार विशेष रूप से केसीसी फसल ऋण पर चिंता जतायी। उन्होंने LPC निर्गत करने मे आ रही समस्यावों को दूर करने एवं कृषि मियादी ऋण के मौजूदा प्रवाह को तीव्र करने की आवश्यकता बतायी।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु सभी सदस्यों की जानकारी हेतु राज्य सरकार
०७	जेएलजी को ऋण प्रवाह के लिए नाबार्ड एवं बैंकों के साथ एमओयू	सीजीएम नाबार्ड ने बताया कि राज्य मे जेएलजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केनरा बैंक, यूनियन बैंक, जेआरजी बैंक, State Co Operative बैंक,धनबाद सहकारी बैंक के साथ नाबार्ड के एमओयू पर हस्ताक्षर किए है, मुख्य महाप्रबंधक ने अन्य बैंकों को भी जेएलजी financing को इस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने का आग्रह किया।	सभी बैंक

०८	अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को राज्य मे बढ़ावा	डॉ राव ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस क्षेत्र मे निवेश एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, उन्होने बताया की सौर ऊर्जा निवेश के तहत नाबार्ड द्वारा 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है ,लेकिन झारखंड राज्य में इस क्षेत्र मे नगण्य ऋण होना चिंतनीय है। श्री राव ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में झारखंड राज्य में अपर संभंवाए बतायी,उन्होने कहा कि झारखंड सरकार ने सोलराइजेशन के लिए 1,000 मॉडल गांवों की पहचान की है ,अतः बैंको को इसे एक स्वर्ण अवसर के रूप में देखना चाहिए।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०९	केसीसी डेयरी ऋण के तहत प्रदर्शन	डॉ राव ने बताया कि राज्य में केसीसी डेयरी ऋण के तहत राज्य का प्रदर्शन काफी कम है, हालांकि झारखंड दुग्ध संघ के पास 25,000 से अधिक सक्रिय डेयरी किसान हैं और 800 से अधिक दूध संग्रह केंद्र हैं। उन्होंने बैंकों से डेयरी क्षेत्र के तहत किए गए वित्तपोषण में सुधार लाने का आग्रह किया और डेयरी क्षेत्र के लिए एक नया मॉडल यानी Cash Flow based lending model आधारित ऋण देने का सुझाव दिया।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
१०	फार्मर्स प्रोड्यूसर organisation को बैंकों द्वारा वित्त पोषण	सीजीएम नाबार्ड ने बताया कि झारखंड राज्य में नाबार्ड द्वारा 250 FPOs को पोषित किए जाने की जानकारी दी, एवं इन एफ़पीओ मे एक लाख से ज्यादा किसानों के जुड़ने की बात कही। उन्होने झारखंड सरकार द्वारा Food procurement का कार्य FPO के माध्यम से कराये जाने की बात बतायी तथा बैंकों को इस क्षेत्र मे वित्तपोषण के लिए एक स्वर्ण अवसर प्राप्त होने की जानकारी प्रदान की।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
११	सिकटिया एवं मसलिया सिचाई परियोजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को वित्त पोषण	डॉ राव ने राज्य मे नाबार्ड के RIDF फ़ंड के माध्यम से बनायी गयी दो प्रमुख सिंचाई परियोजनायें SIKATIA MEGA LIFT IRRIGATION PROJECT और MASALIA MEGA LIFT IRRIGATION PROJECT की जानकारी दी। उन्होने बताया की इन परियोजनाएं से करीब 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र मे 04-05 ज़िलों मे सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। डॉ राव ने बैंकों को इन क्षेत्रों के योग्य किसानों को फसल उत्पादन हेतु वित्तपोषण करने का आग्रह किया।	समस्त बैंक / अग्रणी ज़िला प्रबन्धक

ग) रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राजेश बंसल का सम्बोधन

श्री राजेश बंसल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा सभा में मौजूद सदस्यो को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों से अवगत कराया तथा डिजिटल माध्यम से किसानो को केसीसी के वित्तपोषण विषय पर संबोधित किया:

क्रम स	विषय	परिचर्चा	कृत कार्यवाही हेतु
०१	रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब का परिचय	श्री बंसल ने अपने प्रारंभिक सम्बोधन में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब की कार्यप्रणाली और इनोवेशन हब द्वारा की गयी डिजिटल पहल एवं देश में वित्तीय क्षेत्र को डिजिटल बनाने के संबंध मे किए जाने वाले प्रयासों से सभा के सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने सदन को रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब के आदर्श वाक्य नवोन्मेष, समावेश और प्रभाव के बारे मे विस्तृत जानकारी दी।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु
०२	डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड	श्री बंसल ने आगे सदन को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने मौजूदा प्रणाली के तहत किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने मे किसानों के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला साथ ही डिजिटल केसीसी से होने वाले लाभ के बारे में सदस्यो को अवगत कराया। श्री बंसल ने वर्तमान मे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने मे लगने वाले समय को १५-२० दिन से घटकर एक घंटे से भी कम समय मे कार्ड स्वीकृत किए जाने के विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने डिजिटल केसीसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किए जाने की जानकारी दी एवं भविष्य मे पूरे देश में इसे लॉन्च करने की उम्मीद जतायी।श्री बंसल ने भू अभिलेखों के शत प्रतिशत Digitisation की महता बतायी एवं डिजिटल केसीसी हेतु इसे काफी महत्वपूर्ण बताया।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु राज्य सरकार

अंत मे श्री बंसल ने उम्मीद जतायी कि राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड राज्य के बैंक भी जल्द ही डिजिटल माध्यम के तहत केसीसी वित्तपोषण को सभी गावों तक पाहुचएंगे,जिससे राज्य के किसान काफी आसान एवं सरल प्रक्रिया से डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा का सम्बोधन

क्रम स	विषय	परिचर्चा	कृत कार्यवाही हेतु
०१	भू अभिलेखों का Digitization/ भू अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन एवं MOTRGAE हेतु प्रावधान	श्री संजीव सिन्हा ने रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एसएलबीसी के मंच पर आमंत्रित किए जाने पर प्रसनता ज़ाहिर की तथा उन्होने सदन को भू अभिलेखों के Digitization के अतिरिक्त, बैंकों को भू अभिलेख पर ऋण सुविधा दिये जाने के क्रम मे ऑनलाइन चार्ज की सुविधा एवं भू अभिलेखों का सत्यापन एवं MOTRGAE हेतु प्रावधान पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।	राज्य सरकार
०२	वित्तीय साक्षारता सप्ताह	श्री सिन्हा ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2016 से मनाये जा रहे वित्तीय साक्षारता सप्ताह का ज़िक्र किया तथा इस वर्ष के वित्तीय साक्षारता सप्ताह के विषय **"सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव"** पर दिनांक 13 फ़रवरी, 2023 से 17 फरवरी 2023 के बीच विभिन्न स्रोतो के माध्यम से राज्य मे विभिन्न स्थानों पर किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु
०३	झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय	महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सम्बोधन के क्रम मे बताया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की आवश्यकता है, उन्होने बताया कि झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में रुपये 71,071 थी जो वर्ष 2021-22 मे बढ़कर रुपये 78,660 हो गयी,महाप्रबंधक ने इस आंकड़े को राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय रुपये 1,97,000 से काफी कम बताया, किन्तु पिछले वर्ष की तुलना मे आय मे हुई बढ़ोतरी को राज्य के लिए सकारात्मक बताया एवं राज्य की प्रगति की ओर अग्रसर होने की बात कही।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु

०४	बैंक से लिए गए ऋण का सही उपयोग	श्री सिन्हा ने अपने वक्तव्य में बताया कि सरकारी तंत्र एक ऐसे परिवेश का निर्माण करती है जिससे प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, ऐसी परिस्थिति में यह सभी का प्रयास होना चाहिए कि बैंक से लिए गए ऋण को लोग सही प्रकार से उपयोग करें जिससे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र और जिले में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाली संभावनावों का आकलन किया जा सके।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु
०५	ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधारभूत संरचना का विकास एवं क्षमता बढ़ोतरी	उन्होने अपने सम्बोधन में कहा की इस क्रम में यह प्रयास किया जाना चाहिए की राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधारभूत संरचना का विकास एवं क्षमता बढ़ोतरी किए जाए,जिनकी बदौलत राज्य का चहुमुखी विकास, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी एवं राज्य की आर्थिक समृद्धि एवं निरंतर विकास को गति दी जा सके।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु राज्य सरकार
०६	राज्य मे संभावना वाले क्षेत्रों की प्रगति हेतु परिचर्चा	महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार एवं एसएलबीसी मिलकर ऐसे संभावित क्षेत्रों का चयन करें, जिनमें राज्य के भौगोलिक इलाके, उद्योग, व्यापार , कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और जलवायु परिवर्तन के विषय शामिल हों अथवा पहचान किए जाने के बाद उनकी प्रगति को बढ़ावा देने के उपाय पर परिचर्चा कर सभी हितधारकों के लिए उनकी तय भूमिका के क्रियान्वयन (implementation) के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। उन्होने कहा की ऐसे समयबद्ध कार्यक्रमों से राज्य की प्रगति होगी एवं नागरिकों को भी अपनी आय बढ़ाने का मौका मिलेगा,इसके फल स्वरूप राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा।	राज्य सरकार एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

छ) विशेष सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार श्रीमती दीप्ति जयराज का सम्बोधन

क्रम स	विषय	परिचर्चा	कृत कार्यवाही हेतु
०१	स्वयं सहायता समूहों एवं जेएलजी फ़ाइनेंस को राज्य मे बढ़ावा	श्रीमती दीप्ति जयराज ने अपने वक्तव्य में बैंको से आग्रह किया कि वे ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों एवं जेएलजी फ़ाइनेंस को राज्य मे बढ़ावा दें,साथ ही उन्होने विगत वर्षो मे राज्य सरकार तथा बैंकों की वित्तीय समावेशन वाली योजनावों को आपस मे समन्वय के प्रयास की जानकारी दी।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक/नाबार्ड
०२	सौर ऊर्जा क्षेत्र में बैंकिंग ऋण को बढ़ावा	श्रीमती दीप्ति जयराज ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बैंकिंग ऋण बढ़ाने का आग्रह किया। सिचाई के क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा किए गए बुनियादी विकास वाले ग्रामीण इलाकों मे श्रीमती जयराज ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में सोलर पम्प इत्यादि हेतु ऋण वितरण को एक अच्छा अवसर बताया एवं बैंकों को इस दिशा मे प्रयास किए जाने की बात कही।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक/नाबार्ड
०३	डेयरी से संबंधित सभी योजनाओं को बढ़ावा	श्रीमती जयराज ने झारखंड राज्य में दुग्ध क्रांति लाने पर विचार प्रकट किए। उन्होंने सुझाव दिया कि डेयरी से संबंधित सभी योजनाओं का मूल्यांकन किये जाने चाहिए तथा कृषि एवं पशुपालन विभाग के साथ मिलकर पशुधन वित्तपोषण और दुग्ध उत्पादन में सहयोग करने के लिए जिला-विशिष्ट योजनायें बनाए जाने की आवश्यकता बतायी।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक/ कृषि एवं पशुपालन विभाग
०४	विशिष्ट सरकारी योजनाओं की निगरानी	उन्होने राज्य के बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की एवं बैंकों के राज्य प्रमुखों से विशिष्ट सरकारी योजनाओं की निगरानी राज्य प्रमुख स्तर पर करने का अनुरोध किया।	सभी बैंकों के राज्य प्रमुख

ज) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार डॉ रामेश्वर उरांव का सम्बोधन

क्रम स	विषय	परिचर्चा	कृत कार्यवाही हेतु
०१	राज्य मे बैंकों की भूमिका ऋण-जमा अनुपात मे संभावित वृद्धि	माननीय वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने एसएलबीसी बैठक में बुलाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का आभार व्यक्त किया और सदस्य बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। डॉ उरांव ने सम्बोधन मे राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का ज़िक्र किया एवं इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में नाबार्ड की अहम भूमिका बतायी। माननीय मंत्री ने बैंकों के द्वारा झारखंड के सुदूर ग्रामों में जाकर किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिये जाने को उत्साहवर्धक बताया एवं उन्होने कहा कि ऐसा करने से निश्चित रूप से गाँव के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य कि आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी। माननीय मंत्री ने राज्य के ऋण जमा अनुपात मे हो रही वृद्धि को समय के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जतायी, उन्होने बैंकों के प्रयासों से वित्तीय वर्ष के अंत तक ऋण-जमा अनुपात 50% तक पहुंचने की संभावना जतायी। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में राज्य का ऋण-जमा अनुपात आरबीआई द्वारा तय मानक मतलब 60% के आस पास पहुँच सकता है।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु
०२	वित्त विभाग द्वारा कृषि विभाग, नाबार्ड और आरबीआई एवं बैंकों के राज्य प्रमुखों के साथ बैठक का आयोजन	माननीय मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, साथ ही बैंक तथा नाबार्ड द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करने हेतु विशेष सचिव वित्त विभाग को कृषि विभाग, नाबार्ड और आरबीआई एवं बैंकों के राज्य प्रमुखों के साथ भविष्य मे एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया।	वित्त विभाग

०३	एफपीओ के वित्तपोषण को राज्य में बढ़ावा	राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री ने बैंकों से एफपीओ के वित्तपोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता बतायी। उन्होंने बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विपणन के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता बतायी।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक/नाबार्ड
०४	बकरी पालन और सूकर पालन जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियों के तहत वित्तपोषन को बढ़ावा	माननीय मंत्री ने बैंकों से बकरी पालन और सूकर पालन जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियों के तहत वित्तपोषन को बढ़ावा देने की आवश्यकता बतायी। उन्होने निजी क्षेत्र के बैंको से भी इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने को कहा।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक/नाबार्ड
०५	3,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले ग्रामों में बैंक शाखायें खोलना	माननीय वित्त मंत्री ने सदन को बताया की राज्य में 3,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले ग्रामों में 30 Brick and Mortar शाखायें खोलने के संबंध मे शेष ०७ बैंक शाखाये दिनांक ३१ मार्च २०२३ के पहले खोलने का आग्रह किया।	सभी संबन्धित बैंक

अंत मे माननीय मंत्री ने पिछली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के दौरान हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने की बात का ज़िक्र किया एवं 82 वीं बैठक मे बहुतायत रूप से हिन्दी के प्रयोग पर सभी को धन्यवाद दिया।

झ) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया,प्रधान कार्यालय, श्री एम कार्तिकेयन का सम्बोधन

क्रम स	विषय	परिचर्चा	कृत कार्यवाही हेतु
०१	राज्य के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा	श्री कार्तिकेयन ने राज्य में रुपये 1.00 लाख करोड़ के संवितरण पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की एवं समस्त बैंकों को इस कार्य के लिए बधाई दी, श्री कार्तिकेयन ने उम्मीद जतायी कि राज्य के बैंक आने वाले वर्षों में भी ऋण प्रवाह की इस गति को इसी प्रकार जारी रखेंगे। श्री कार्तिकेयन ने राज्य में वार्षिक ऋण योजना की नौ महीने की उपलब्धि 98.49% होने का ज़िक्र करते हुये बताया कि राज्य के समस्त बैंक वार्षिक ऋण योजना के तहत 61,636 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 60,703 करोड़ के लक्ष्य प्राप्त किए,अतः सभी सदस्य बैंकों एवं अन्य हितधारकों को इस कार्य के लिए बधाई दी एवं जनवरी माह के अंत तक 100% के आंकड़े को आसानी से पार किए जाने की संभावना व्यक्त की। श्री कार्तिकेयन ने बताया कि राज्य के बैंकों द्वारा गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 31 दिसम्बर 2022 तक आबंटित लक्ष्य का 121% हासिल किया , इस क्रम मे उन्होने बताया कि गैर-प्राथमिकता क्षेत्र मे 25,000 करोड़ के आबंटित लक्ष्य के मुकाबले नौ महीने में 30,352 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए जो झारखंड राज्य के बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए अच्छे प्रयासों को दर्शाता है। श्री कार्तिकेयन ने सदन को अवगत कराया कि भारत में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं और इनमे से 19 जिले, झारखंड राज्य में हैं,इन जिलों में ऋण प्रवाह न्यूनतम स्तर पर होने के कारण राज्य का ऋण जमा अनुपात 44.44% के स्तर पर है, हालांकि, राज्य के बैंक मिलकर मार्च 2023 तक ऋण जमा अनुपात को 50% तक हासिल करने का प्रयास करेंगे,साथ ही आगामी वित्त वर्ष में ऋण -जमा अनुपात को 60% के स्तर पर पहुचाने का लक्ष्य रखें।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु

०२	डिजिटल केसीसी पोर्टल की अवधारणा	श्री कार्तिकेयन ने RBIH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजेश बंसल द्वारा डिजिटल केसीसी पोर्टल के बारे साझा किए गए जानकारी को काफी महत्वपूर्ण बताया एवं किसानों के हितों को ध्यान मे रखकर RBIH के प्रयासों की सराहना की, साथ ही डिजिटल पोर्टल को केसीसी वितरण हेतु काफी उपयोगी बताया।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु
०३	गैर निष्पादित आस्तियों का समाधान	एनपीए के मामले में श्री कार्तिकेयन ने बताया कि गैर निष्पादित आस्तियां बैंकों के लिए काफी चिंता का विषय है, उन्होने बताया कि पूरे देश का एनपीए पोर्टफोलियो लगभग 5% है, जबकि झारखंड राज्य में यह 7% होना निश्चय ही चिंता का विषय है,उन्होंने वित्त विभाग और एसएलबीसी से अनुरोध किया कि कृपया इस मामले को राज्य के मुख्य सचिव के संज्ञान में ज़रूर लाएं,साथ ही प्रदेश में सर्टिफिकेट केस में लगभग 22,000 लंबित मामले, SARFAESI में जिलाधिकारी की अनुमति हेतु लंबित 517 मामले एवं DRT में लंबित 5,055 मामले को एलडीएम अपने-अपने जिलों के जिलाधिकारी के समक्ष अवश्य लाये।कार्यपालक निदेशक ने राज्य के वित्त विभाग से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालय से जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को उपरोक्त लंबित मामलों के निष्पादन के संबंध में एक पत्र परिचालित करें ताकि लंबित मामलों मे वसूली की प्रक्रिया को तीव्र किये जा सकें।	समस्त बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक/राज्य सरकार
०४	वित्तीय समावेशन के तहत राज्य मे किए कार्य	उन्होंने वित्तीय समावेशन के तहत राज्य मे किए गए शानदार कार्यों की सराहना की तथा श्री कार्तिकेयन ने माननीय वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि बैंक ऑफ इंडिया निश्चित रूप से दिनांक 31.03.2023 तक अपनी ब्रिक एंड मोर्टार शाखा स्थापित कर लेगा साथ ही अन्य बैंकों के राज्य प्रमुखों से भी शेष स्थानों पर ब्रिक एवं मोर्टार शाखा दिनांक 31 मार्च 2023 तक खोलने का अनुरोध किया।	सभी सदस्यों की जानकारी हेतु सभी संबन्धित बैंक
०५	बकरी पालन, सूकर पालन और डेयरी के वित्तपोषण को बढ़ावा	माननीय मंत्री द्वारा कृषि एवं पशुपालन के विषय मे दिए गए सुझावों के संदर्भ में, श्री कार्तिकेयन ने कृषि क्षेत्र में वार्षिक ऋण योजना के तहत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकों को बकरी पालन, सूकर पालन और डेयरी के वित्तपोषण पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बतायी।	सभी बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक

	स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण	श्री कार्तिकेयन ने राज्य मे स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण मे औसत ऋण प्रति समूह केवल रुपये 64 हजार होने पर चिंता व्यक्त की जबकि राष्ट्रिय औसत 3.00 लाख होने एवं दक्षिण के राज्यों मे यह औसत रुपये 5.0 लाख होने का ज़िक्र किया। उन्होने सभी सदस्यो से इस मुद्दे को गंभीरता से देखने और स्वयं सहायता समूहों के औसत वित्तपोषण को बढ़ाने का आग्रह किया।	
०६	RSETI के प्रशिक्षणार्थियों को वित्तपोषण बैंकिंग कोर्रोस्पोंडेंट की नियुक्ति	श्री कार्तिकेयन ने RSETI के प्रशिक्षणार्थियों को वित्तपोषित करने तथा सफल उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए सभी सदस्य बैंको से अनुरोध किया, साथ ही उन्होने वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक गाँवों मे कम से कम तीन बैंकिंग कोर्रोस्पोंडेंट नियुक्त करने का आग्रह किया।	सभी बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक
०७	सौर ऊर्जा मिशन मे बैंक ऋण की संभावनायें	सभा मे सौर मिशन पर रखी गयी बात का उल्लेख करते हुए श्री कार्तिकेयन ने कहा कि राज्य में मॉडल गांव की अवधारणा काफी फायदेमंद है और इस संबंध में उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से आग्रह किया कि वे सौर ऊर्जा मिशन के तहत बैंक ऋण की संभावना तलाशने एवं योजनाओं का उचित विपणन और प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया।	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति /अग्रणी ज़िला प्रबन्धक

इस सम्बोधन के उपरांत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-झारखंड के वरीय प्रबन्धक, श्री विभव कुमार द्वारा एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र का संचालन किया गया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा एजेंडावार विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के प्रदर्शन पर चर्चा की गयी।

क्रम स	विषय	परिचर्चा	कृत कार्यवाही हेतु
०१	सर्टिफिकेट केस दायर लोन खातों हेतु मौजूदा कोर्ट फ़ी की कटौती	श्री कुमार ने राज्य सरकार द्वारा 22 फ़रवरी, 2022 को जारी अधिसूचना का ज़िक्र करते हुए बताया की बैंक द्वारा फ़ाइल किए जाने वाले सर्टिफिकेट केस में मौजूदा कोर्ट फ़ी काफी ज्यादा है जिससे ऋणी के लोन खाते पर अतिरिक्त बोझ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है साथ ही बैंकों को भी ऋण वसूली मे काफी समस्या आती है,अतः राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में राज्य सरकार से वर्तमान कोर्ट फी में परिवर्तन करने तथा किसी भी मूल्य के बकाया	राज्य सरकार

		ऋण पर अन्य राज्यों की भाँति वसूले गए राशि का अधिकतम 5% कोर्ट फी रखने का प्रस्ताव दिया।	
०२	अग्रणी ज़िला प्रबन्धक कार्यालय मे समुचित अधिकारी/कर्मचारी/डाटा एंट्री ऑपरेटर की उपलब्धता	श्री कुमार ने भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी बैंक योजना के अनुपालन के संदर्भ मे अग्रणी ज़िला प्रबन्धक कार्यालय मे समुचित अधिकारी/कर्मचारी/डाटा एंट्री ऑपरेटर की कमी का मुद्दा उठाया एवं सभी 24 जिलों मे इस विषय के अनुपालन हेतु सभा के माध्यम से तीनों अग्रणी बैंक यथा बैंक ऑफ इंडिया,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक के राज्य प्रमुखो से अग्रणी ज़िला प्रबन्धक कार्यालय मे पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति करने तथा फरवरी माह के अंत तक इस विषय का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।	बैंक ऑफ इंडिया,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक
०३	लघु तथा दीर्घ अवधि के फसल उपजाने हेतु निर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के repayment हेतु फसल अवधि का निर्धारण	वरीय प्रबन्धक ने फसल ऋण मे लघु तथा दीर्घ अवधि के फसल उपजाने हेतु निर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के repayment मे फसल अवधि का निर्धारण (Fixation of crop duration) का प्रस्ताव रखा जिसे सभा के द्वारा अनुमोदित किया गया। अनुमोदनोपरांत फसल अवधि के निर्धारण संबंधी विस्तृत जानकारी सभी बैंकों से साझा करने की जानकारी दी गयी।	सभी बैंक/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक

अंत में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री ज्ञान रंजन सारंगी ने अध्यक्ष की अनुमति से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-झारखंड की 82वीं बैठक में शामिल सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,अधिकारी, रा. स्त. बै. स.-झारखंड के द्वारा किया गया।

(मनोज कुमार)

(मनोज कुमार)

महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.